कार्यालय, जिलाधिकारी, फैज़ाबाद

पत्रांक- डी०टी०ओं०/त०नि०का०/2017-18/ 368-70 दिनांक- 18/12/17

सेवा में,

1. कुलपति, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्व विद्यालय, फैज़ाबाद
2. कुलपति, नरेन्द्रदेव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, फैज़ाबाद ।
3. माननीय जिला जज, फैज़ाबाद ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, फैज़ाबाद परिक्षेत्र, फैज़ाबाद ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैज़ाबाद ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, फैज़ाबाद ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या-फैज़ाबाद ।
8. जिला वनाधिकारी, फैज़ाबाद ।
9. परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. फैज़ाबाद ।
10. समस्त अपर जिला अधिकारी फैज़ाबाद ।
11. आयकर/वाणिज्यकर आयुक्त, फैज़ाबाद ।
12. सेना नायक, पी.ए.सी. फैज़ाबाद ।
13. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र फैज़ाबाद ।
14. क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यू.पी.एस.आर.टी.सी. फैज़ाबाद ।
15. जिला कारागार अधीक्षक, फैज़ाबाद ।
16. किशोर कारागार अधीक्षक, फैज़ाबाद ।
17. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय चिकित्सालय 100 शैय्या, फैज़ाबाद ।
18. जेलर फैज़ाबाद ।
19. जिला विकास अधिकारी, फैज़ाबाद
20. सिटी मजिस्ट्रेट, फैज़ाबाद ।
21. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, फैज़ाबाद ।
22. पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण, फैज़ाबाद ।
23. जिला विद्यालय निरीक्षक, फैज़ाबाद ।
24. बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैज़ाबाद ।
25. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फैज़ाबाद ।
26. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, फैज़ाबाद ।
27. स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, रेलवे स्टेशन, फैज़ाबाद ।
28. समस्त उप जिलाधिकारी, फैज़ाबाद ।
29. जिला गन्ना अधिकारी, फैज़ाबाद ।
30. जिला मनोरंजनकर अधिकारी, फैज़ाबाद ।
31. जिला आबकारी अधिकारी, फैज़ाबाद ।
32. जिला पंचायत राज अधिकारी, फैज़ाबाद ।
33. जिला श्रम अधिकारी, फैज़ाबाद ।
34. जिला कार्यक्रम अधिकारी, फैज़ाबाद ।
35. जिला प्रभारी, एन.आर.एल.एम., फैज़ाबाद ।
36. जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैज़ाबाद ।

37. जिला सेवायोजन अधिकारी, फैज़ाबाद ।
38. जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, फैज़ाबाद ।
39. जिला परियोजना अधिकारी, एन.एच.एम, फैज़ाबाद ।
40. संभागीय परिवहन अधिकारी, फैज़ाबाद ।
41. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल (पुरुष), फैज़ाबाद ।
42. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला अस्पताल, फैज़ाबाद ।
43. सी.एम.एस. श्री राम चिकित्सालय, अयोध्या, फैज़ाबाद ।
44. समस्त अधीक्षक, सी.एच.सी./पी.एच.सी., फैज़ाबाद ।
45. समस्त खंड विकास अधिकारी, फैज़ाबाद ।
46. समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, फैज़ाबाद ।
47. थानाध्यक्ष, आर.पी.एफ. रेलवे स्टेशन फैज़ाबाद ।
48. थानाध्यक्ष, जी.आर.पी. रेलवे स्टेशन फैज़ाबाद ।
49. जिला समन्वयक नेहरु युवा केंद्र, फैज़ाबाद ।
50. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एन.सी.सी., फैज़ाबाद ।
51. जिला कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, फैज़ाबाद ।
52. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, फैज़ाबाद ।
53. अध्यक्ष, नर्सिंगहोम एसोसिएशन, फैज़ाबाद ।
54. अध्यक्ष, व्यापार मंडल, फैज़ाबाद ।
55. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, फैज़ाबाद ।
56. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, स्कूल एसोसिएशन, फैज़ाबाद ।
57. अध्यक्ष, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, फैज़ाबाद ।
58. समस्त स्कूल/कॉलेज/महाविद्यालय/कोचिंग, फैज़ाबाद ।
59. समस्त होटल/रेस्टोरेंट/टी स्टाल/शॉपिंग मॉल/दुकान/कार्यालय, फैज़ाबाद ।
60. यू.पी.एन.पी. प्लस के प्रतिनिधि, फैज़ाबाद ।
61. जिले के औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि, फैज़ाबाद ।
62. अध्यक्ष-इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ट्रक ओनर्स एसोसिएशन, श्रमिक यूनियन, रोटरी क्लब, लायंस तथा इनरव्हील, फैज़ाबाद ।

दिनांक 7/12/17 को सायंकाल 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, फैज़ाबाद में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की बैठक में दिए गए निर्देश के के क्रम में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय, और वितरण विनियमन) कोटपा अधिनियम 2003 की प्रमुख धाराए इस प्रकार है-

नोट- यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमे किसी भी रूप में तम्बाकू है जैसे- सिगरेट, सिगार, चेरूट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, खैनी, सुंघनी आदि ।

धारा-4 सभी सार्वजनिक स्थान जैसे- सरकारी कार्यालय, समस्त अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, समस्त मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, होटल/रेस्टोरेंट/टी स्टाल, प्राइवेट कार्यालय, समस्त स्कूल/कॉलेज/कोचिंग, सभी प्रकार की दुकान इत्यादि स्थानों पर धूम्रपान निषेध है इस कानून का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकता है । तथा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर 60×45 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड अवश्य लगा होना चाहिए (धारा-21)

धारा-5

1. किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता है ।
2. तम्बाकू की दुकानों पर तम्बाकू उत्पादों कि प्रदर्शनी जिसे देखकर अवयस्क आकर्षित हो सके पूर्णतया प्रतिबंधित है ।

3. समस्त पान मसाले की दुकानों पर 60*30 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड लगा होना चाहिए जिसमे स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए कि 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना व खरीदना दंडनीय अपराध है |
4. उपर्युक्त लिखे नियमों का उल्लंघन करने पर पहले अपराध पर 2 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है| दूसरी बार अपराध करने पर 5 वर्ष की सजा या 5000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है| (धारा-22)

धारा-6अ 18 से वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना और 18 से वर्ष से कम आयु के बच्चों से बिकवाना व खरीदवाना कानूनन अपराध है| इस कानून का उलन्घन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना उलन्घंकर्ता से वसूला जा सकता है |

धारा-6ब किसी भी शिक्षण संस्थान के बाहिरी दीवाल से 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है | इस कानून का उलन्घन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना उलन्घंकर्ता से वसूला जा सकता है | समस्त स्कूल/कॉलेज/कोचिंग के प्रमुख प्रवेश द्वार पर 60*45 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड लगा होना चाहिए

धारा-7 सभी प्रकार के तम्बाकू एवं धूम्रपान के उत्पादों के 85 % भाग पर स्थानीय भाषा में चित्रमय चेतावनी अंकित होनी चाहिए

आप सभी अधिकारियो/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है हैं कि

1. सभी विभाग अपने-अपने ऑफिस/कैंपस/कार्यालय में एक 60*45 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड लगवाएं |
2. सभी विभाग अपने-अपने ऑफिस/कैंपस/कार्यालय एक नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए नामित करें |
3. सभी विभाग अपने-अपने ऑफिस/कैंपस/कार्यालय को धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त घोषित करके इसकी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कराये |
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक सभी स्कूलों पर 60×45 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड लगावाये
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक जी द्वारा समस्त स्कूलों को धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त घोषित करके इसकी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कराये |
6. समस्त स्कूल/कोचिंग/कॉलेज के 100 गज के दायरे में आने वाली सभी पान मसाले की दुकानों को सचल दल द्वारा हटवाया जाये |

18/12/17

जिलाधिकारी

फैजाबाद

पत्रांक-डी.टी.ओ/त०नि०का०/2017-18/ 368-70 तद् दिनांक- 18/12/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ |
3. राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ |
4. मंडलायुक्त महोदय, फैज़ाबाद मंडल, फैज़ाबाद |
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, फैज़ाबाद |
6. जिला क्षयरोग अधिकारी/नोडल अधिकारी, फैज़ाबाद |
7. जिला सूचना अधिकारी, फैज़ाबाद |
8. यू.पी.वी.एच.ए. लखनऊ |
9. प्रबंधक, ग्लोबल पाथ, फैज़ाबाद |

जिलाधिकारी

फैजाबाद